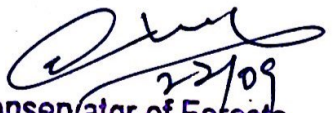


C.A. Scheme

JIO Digital Fibre Pvt. Ltd. Ground Floor, Reliance House RK4 Square, Building No 4, DLF Ciber City, Phase II, Gurugram, Haryana द्वारा इस वन मण्डल के अधीन From Between Electricity Board to HSEB Quarters (164 Meters) toward Kanaiya Sahib Chowk, From Opp Spring Field School to House No. 345, Aadharsh Nagar (1580 Meters) and from Kamani Chowk to Kanaiya Sahib Chowk (800 Meters) in District Yamuna Nagar रोड के साथ-साथ ऑप्टिकल फाइबर लाईन बिछाने का कार्य किया जाना है। इस कार्य में वन विभाग की 0.1145 है० वन भूमि का उपयोग किया जायेगा। कोई भी वृक्ष बाधक नहीं है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय चण्डीगढ़ के पत्र क्रमांक 9-1263/2001-ROC दिनांक 30.12.2004 तथा FC-11/165/2019-FC दिनांक 27.07.2020 के द्वारा दी गई हिदायतों अनुसार भूमिगत केबल लाईन बिछाने हेतु प्रस्ताव में जहां पर विभागीय वृक्ष प्रभावित नहीं होगा ऐसे प्रस्ताव में यूजर एजेंसी से प्रतिपूर्ति पौधारोपण हेतु राशि प्राप्त नहीं की जायेगी।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, चण्डीगढ़ के पत्र क्रमांक F.No.5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 के द्वारा NPV की राशि लेने पर भी छुट प्रदान की जा चुकी है।


22/09
Dy. Conservator of Forests
Yamunanagar Forest Division,
Yamunanagar